

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक

51

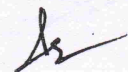
(App.) /

बिलासपुर, दिनांक: 04 जुलाई, 2023

II-14-1/2021 (Staff Car Driver)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीगण : -

स. क्र.	नाम (श्री/कुमारी)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
1.	LOKESH KUMAR SAO	RAVISHANKAR SAO	VILLAGE-POST - BANSULA (BASNA), TAHSIL-BASNA, DISTRICT-MAHASAMUND (C.G.) - 493554.	UR
2.	YOGESH KUMAR MISHRA	SHIV KUMAR MISHRA	VILLAGE-MUJHGAHAN, LOHARSI ROAD, P.O. - LOHARSI, TAHSIL+DISTRICT - DHAMTARI (C.G.)	UR
3.	RAVINDRA PRAKASH TIWARI	DINESH KUMAR TIWARI	RIVER VIEW COLONY, RIGHT SIDE GALI NO.-03, KONI, BILASPUR (C.G.) - 495009.	UR
4.	NITIN YADAV	INDRA KUMAR YADAV	VILLAGE-MADANPUR, POST- SINDHRI, THANA-RATANPUR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR
5.	NITIN KERKETTA	RAVIDAS KERKETTA	WARD NO. 01, TAHSIL-BHATHA, KATGHORA, P.O.-KATGHORA, DISTRICT-KORBA (C.G.) - 495445.	UR
6.	VISHANT SIRSAJ	KAVAN LAL SIRSAJ	BEHIND SHITLA MANDIR, DANGANIYA, RAIPUR (C.G.) - 492001.	UR
7.	ANURAG TOPPO	AMON TOPPO	RAMANUJNAGAR, PIWARI CHOWK, RAMANUJNAGAR, DISTRICT- SURAJPUR (C.G.) - 497333.	UR
8.	DURGESH KUMAR	SAROJ KUMAR	WARD NO.-13, BHATHAPARA, GODHNA, POST-GODHNA, TAHSIL- SHIVRINARAYAN, DISTRICT- JANJGIR-CHAMPA (C.G.) - 495556.	OBC
9.	SANJAY KUMAR KASHYAP	DEV SHANKAR KASHYAP	VILLAGE+POST - SALKHAN, VIA- KHAROD, TAHSIL-NAWAGARH, DISTRICT-JANJGIR-CHAMPA (C.G.) - 495556.	OBC
10.	AJAY KUMAR	DUJRAM	BAJRANG CHOWK, DHANGAON, POST-RASOTA, THANA-PAMGARH, DISTRICT-JANJGIR-CHAMPA (C.G.) - 495554.	SC
11.	AKARSHAN XALXO	LALIT XALXO	WARD NO. 10, MAA BHAWANI NAGAR, SIRGITTI, BILASPUR (C.G.) - 495004.	ST



स. क्र.	नाम (श्री/कुमारी)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
12.	TIKARAM SUNHARE	RAMESH KUMAR SUNHARE	VILLAGE-AMERI, POST-MANGLA, TAHSIL-TAKHATPUR, THANA- SAKRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495001.	SC
13.	RANJEET KUMAR	SURESH KUMAR	VILLAGE-MUDHPAR (NEW), POST- RASOTA, TAHSIL-PAMGARH, DISTRICT-JANJGIR-CHAMPA (C.G.) - 495554.	SC
14.	AKHILESH KUMAR	LOGEN RAM	GOVERNMENT NURSING COLLEGE, NAMNAKALA, AMBIKAPUR, DISTRICT-SURGUJA (C.G.).	ST
15.	AVINASH DHRUW	BHUNESHWAR DHRUW	VILLAGE-PENDRIDIH, POST-HIRRI, TAHSIL-BILHA, DISTRICT- BILASPUR (C.G.) - 495222.	ST
16.	RANJEETA	GANESHRAM	VILLAGE-CHHATONA, P.O.-HIRRI MINES, BLOCK-TAKHATPUR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495222.	UR - FEMALE

को **स्टाफ कार ड्राइवर (Staff Car Driver)** के पद पर पे मेट्रिक्स के **लेवल-4 (19500-62000)** में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

- (1) परीक्षा अवधि पर उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उक्त चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टापेण्ड के रूप में दिया जावेगा परन्तु उक्त परीक्षा अवधि में उन्हें स्टापेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थाई किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।
- (2) परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परीक्षा पर माना जायेगा।
- (3) परीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- (4) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (5) चयनित अभ्यर्थियों को **दिनांक 20.07.2023 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।** यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं

किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

- (6) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
- (7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (8) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- (9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- (10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (11) उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- (12) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जाँच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (13) यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्याधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- (14) "आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न)
- (15) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त स्टाफ कार ड्राइवर के सबसे अंतिम स्थान पर होगा और उनकी पारस्परिक वरीयता



उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी।

- (16) यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
- (17) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन **S.L.P. (C) No. 19668/2022** द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
- (18) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

सही/-
(अरविन्द कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांक क्रमांक 7875 /
II-14-1/2021 (Staff Car Driver)

बिलासपुर, दिनांक: 04 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजि./आई.एण्ड ई./न्या./एस.एण्ड ए. सेल), छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)-कम-सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (जिला स्था./न्या./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्य/प्रोटोकॉल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. सहायक रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. **उपरोक्तानुसार 1 से 16 तक समस्त अभ्यर्थीगण,**
की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(अरविन्द कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

04.07.2023

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित
व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ0
उम्र वर्ष व्यवसाय निवासी
तहसील जिला राज्य शपथपूर्वक कथन
करता/करती हूँ कि :

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
- (2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में (प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रार्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रार्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (5) कदाचित् उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रार्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रार्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रार्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रार्थिति के संबंध में की गई जाँच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रार्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रार्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम)

..... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु वायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और-अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रारिथति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर